कार्यवृत्त

अनुदान समिति की दूसरी बैठक

2017-2018

पंजीकृत स्वैच्छिक संगठनों/व्यक्तियों को पांडुलिपियों/ दुर्लभ पुस्तकों के परिरक्षण हेतु वित्तीय सहायता स्कीम

(16 जनवरी, 2016)

राष्ट्रीय अभिलेखागार

जनपथ, नई दिल्ली-110001

16 जनवरी 2018 को हुई अनुदान समिति की दूसरी बैठक का कार्यवृत्त

राष्ट्रीय अभिलेखागार

पंजीकृत स्वैच्छिक संगठनों/वैयक्तिकों को पांडुलिपियों/दुर्लभ पुस्तकों के परिरक्षण हेतु वित्तीय सहायता स्कीम के लिए आयोजित अनुदान समिति की दूसरी बैठक का कार्यवृत्त

2017-2018

उपर्युक्त स्कीम हेतु अनुदान समिति की दूसरी बैठक 16 जनवरी, 2018 को राष्ट्रीय अभिलेखागार, नई दिल्ली में श्री प्रीतम सिंह, आईएएस, अभिलेखागार, राष्ट्रीय अभिलेखागार की अध्यक्षता में हुई। चूंकि स्कीम के लिए आवंटित निधि की कुछ राशि अव्ययित रह गई थी, अत: दूसरी बैठक बुलाई गई। 21 अगस्त 21017 को हुई अनुदान समिति की पहली बैठक के पश्चात् इस विभाग को प्राप्त प्रस्तावों को एजेंडा में शामिल किया गया और इस बैठक में उनपर विचार किया

इस बैठक में उपस्थित सदस्यों के नाम **अनुलग्नक-I** में दिए गए हैं।

सदस्य सचिव ने अध्यक्ष और समिति के सदस्यों का स्वागत किया, इसके पश्चात् समिति को स्कीम के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों से अवगत कराया गया तथा यह बताया गया कि अनुदान की अधिकतम सीमा **₹**10.00 लाख रुपए प्रति परियोजना प्रति वर्ष है।

तत्पश्चात् बैठक का विस्तृत कार्यक्रम (एजेंडा) शुरू किया गया।

अनुदान समिति के सदस्यों ने जम्मू एवं कश्मीर, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश राज्यों से प्राप्त सभी 17 मामलों पर चर्चा की। समिति ने चालू वित्तीय वर्ष अर्थात् 2017-18 के दौरान अनुदान हेतु प्राप्त 14 प्रस्तावों को अनुमोदित किया।

अनुमोदित परियोजना लागत (14 मामले) =₹33,21,029/-

75 प्रतिशत केंद्र का अंशदान =₹24,90,772/-

25 प्रतिशत समतुल्य अंशदान =₹8,30,257/-

अनुदान समिति द्वारा अनुशंसित कुल राशि =₹33,21,029/-

केंद्र सरकार का अंशदान उपर्युक्त राशि का 75 प्रतिशत है =₹24,90,772/-

अनुदान प्राप्तकर्ता का समतुल्य हिस्सा =₹8,30,257/-

(विस्तृत ब्यौरे के लिए कृपया अनुलग्नक II देखें)

3. समिति ने 3 मामलों को अस्वीकार कर दिया जो अनुलग्नक III में कारण सहित दिए गए हैं।

(विस्तृत ब्यौरे के लिए कृपया अनुलग्नक III देखें)

4. समिति ने सिफारिश की कि ऐसे अनुदान प्राप्तकर्ता जिनके वित्तीय सहायता के नए प्रस्तावों पर विचार किया गया है के द्वारा उपयोग की गई पिछले अनुदान की राशि का ब्यौरा भी एजेंडा में शामिल किया जाए जिससे कि समिति द्वारा उन्हें पहले जारी की गई अनुदान की राशि का मूल्यांकन किया जा सके।

16 जनवरी 2018 को हुई अनुदान समिति की दूसरी बैठक का कार्यवृत्त

समिति ने यह सिफारिश भी की है कि दिशानिर्देश भी तैयार किए जाए जिसके द्वारा अनुदान प्राप्तकर्ता को यह कहा जा सकता है कि वह रिकॉर्ड उपयोगकर्ता के साथ अपने डिजिटाइज्ड डेटा (राष्ट्रीय अभिलेखागार द्वारा दिए गए अनुदान से तैयार) की प्रतियां साझा करने के लिए राष्ट्रीय अभिलेखागार को अनुमत करे।

अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापन देकर बैठक की समाप्ति हुई।

(डॉ. एम.ए. हक)
उप-निदेशक, अभिलेखागार एवं
सदस्य सचिव, अनुदान समिति

(श्री प्रीतम सिंह, आईएएस)
महानिदेशक एवं अध्यक्ष,
अनुदान समिति

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 22 जनवरी 2009

अनुलग्नक I

16 जनवरी 2018 को हुई अनुदान समिति की दूसरी बैठक में उपस्थित सदस्य :

1.	श्री प्रीतम सिंह, आईएएस, महानिदेशक, राष्ट्रीय अभिलेखागार	अध्यक्ष
2.	सुश्री दीपिका पोखर्णा, निदेशक, ए एंड ए अनुभाग संस्कृति मंत्रालय	सदस्य
3.	डा. ज्योत्सना अरोड़ा उप निदेशक (पुस्तकालय), भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद	सदस्य
4.	डा. जावेद आलम सहायक प्रोफेसर इतिहास एवं संस्कृति विभाग जामिया मिलिया इस्लामिया	सदस्य
5.	श्री ए. के. माथुर (सेवानिवृत्त, सुपरिटेंडिंग आर्कियोलॉजिकल केमिस्ट, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण	सदस्य
6.	डा. एम. ए. हक, उप-निदेशक, अभिलेखागार, राष्ट्रीय अभिलेखागार	सदस्य-सचिव

बैठक में डा. (श्रीमती) रितु राजीव, सहायक निदेशक, अभिलेखागार (अनुदान), राष्ट्रीय अभिलेखागार भी उपस्थित थीं।

16 जनवरी 2018 को हुई अनुदान समिति की दूसरी बैठक का कार्यवृत्त

अनुलग्नक II

वित्तीय वर्ष 2017-2018 के लिए 16 जनवरी 2018 को हुई अनुदान समिति की बैठक द्वारा अनुशंसित पंजीकृत स्वैच्छिक संगठनों/व्यक्तियों को "पांडुलिपियों/दुर्लभ पुस्तकों का परिरक्षण" स्कीम के तहत वित्तीय सहायता।

भाग-क **I पूर्वोत्तर राज्यों से भिन्न राज्य**

क्र.सं.	संगठन/वैयक्तिक का नाम	अनुमोदित परियोजना लागत	केंद्र सरकार का संस्वीकृत अंशदान	अनुदान प्राप्तकर्ता का समतुल्य अंशदान	प्रयोजन	टिप्पणी
1.	**जम्मू व कश्मीर** खेम कलेक्शन्स, प्रो. डा. खेम राज शर्मा (वैयक्तिक), पटयारी, पी.ओ. सरना, तहसील एवं जिला - साम्बा, जम्मू व कश्मीर एफ.सं.31-1(61)/2017-अनुदान	₹50,000/-	₹37,500/-	₹12,500/-	1. पांडुलिपियों की बांइडिंग एवं मरम्मत : ₹25,000/- 2. पांडुलिपियों का दीमकरोधी उपचार : ₹25,000/-	
2.	**जम्मू व कश्मीर** इंदर मैन्यूस्क्रिप्ट्स कलेक्शन्स (वैयक्तिक), मोती बाजार, जम्मू, जम्मू व कश्मीर एफ.सं.31-1(61)/2017-अनुदान	₹2,85,000/-	₹2,13,750/-	₹71,250/-	1. पांडुलिपियों/दुर्लभ पुस्तकों की बाइंडिंग एवं मरम्मत ₹1,20,000/- 2. रसायन आदि की खरीद ₹75,000/- 3. पांडुलिपियों का सिल्वरफिश रोधी, दीमक रोधी उपचार =₹90,000/-	
3.	**जम्मू व कश्मीर** डा. सुरेश कुमार अब्रोल, (वैयक्तिक), अब्रोल पांडुलिपियां एवं दुर्लभ पुस्तक पुस्तकालय, जम्मू, जम्मू व कश्मीर एफ.सं.31-1(63)/2017-अनुदान	₹2,71,500/-	₹2,03,625/-	₹67,875/-	1. पांडुलिपियों के 2,000 पृष्ठों का टिश्यू लेमिनेशन 25 रुपए प्रति पृष्ठ की दर से =₹50,000/- 2. दुर्लभ पुस्तकों के 2,000 पृष्ठों का टिश्यू लेमिनेशन 25 रुपए प्रति	

क्र.सं.	संगठन/वैयक्तिक का नाम	अनुमोदित परियोजना लागत	केंद्र सरकार का संस्वीकृत अंशदान	अनुदान प्राप्तकर्ता का समतुल्य अंशदान	प्रयोजन	टिप्पणी
					पृष्ठ =₹50,000/- 3. लेमिनेशन के पश्चात 300 पांडुलिपियों की पुरालेखीय बाइंडिंग प्रति पांडुलिपि 280/-रुपए की दर से =₹84,000/- 4. लेमिनेशन के पश्चात 150 दुर्लभ पुस्तकों की पुरालेखीय बांइडिंग 280 रुपए प्रति पुस्तक की दर से =₹37,500/- 5. सूती कपड़े (गहरा लाल, नीला, पीला) स्टार्च फ्री 2000 मीटर की खरीद =₹50,000/-	
4.	**जम्मू व कश्मीर** अनिल पाबा कलेक्शन्स (वैयक्तिक) उधमपुर, जम्मू व कश्मीर एफ.सं.31-1(64)/2017-अनुदान	₹2,00,000/-	₹1,50,000/-	₹50,000/-	1. पांडुलिपियों का कैटलॉग तैयार करना =₹50,000/- 2. पांडुलिपियों की सामग्री, कपड़ा टिश्यू पेपर, मरम्मत, बाइंडिंग आदि का परिरक्षण =₹80,000/-	
5.	**जम्मू व कश्मीर** कश्मीर अनुसंधान संस्थान, श्रीनगर, जम्मू व कश्मीर एफ.सं.31-1(65)/2017-अनुदान	₹5,00,000/-	₹3,75,000/-	₹1,25,000/-	1. इनटैक के अनुसार पांडुलिपियों का परिरक्षण =₹2,50,000/- 2. पांडुलिपियों का अंकीकरण =₹2,50,000/-	स्कैनिंग की दर राष्ट्रीय अभिलेखागार, 2016-17 के अंकीकरण नीति संबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार होगी, ए2-ए4 साइज़ के लिए 4 रुपए होगी।

क्र.सं.	संगठन/वैयक्तिक का नाम	अनुमोदित परियोजना लागत	केंद्र सरकार का संस्वीकृत अंशदान	अनुदान प्राप्तकर्ता का समतुल्य अंशदान	प्रयोजन	टिप्पणी
						अंकीकरण हेतु संस्वीकृत अनुदान के संदर्भ में एनएआई को उपलब्ध कराए जाने वाले मेटाडाटा के साथ अंकीकृत सामग्री की प्रति।
6.	**कर्नाटक** कर्नाटक राज्य विश्वविद्यालयों के पूर्व वाइस चांसलरों का फोरम बंगलुरू, कर्नाटक एफ.सं.31-1(77)/2017-अनुदान	₹1,15,000/-	₹86,250/-	₹28,750/-	1. वैक्यूम कलीनर =₹15,000/- 2. उपकरणों की खरीद =₹25,000/- 3. सिट्रोनेला तेल, नीम तेल, तुलसी तेल के काजल के लिए 10,000/-रुपए प्रति वर्ष =₹20,000/- 4. प्रतिवर्ष 30,000 कागज की पांडुलिपियों के परिरक्षण हेतु आवश्यक सामग्री =₹30,000/- 5. प्रतिवर्ष 20,000 पैकिंग के लिए कार्ड बोर्ड और कपड़े का धागा =₹25,000/-	
7.	**कर्नाटक** श्री निकेतन ट्रस्ट, सम्पूता नरसिम्हा स्वामी मठ, श्री कुक्के सुब्रमण्य सुलिया तालुक दक्षिण कन्नड़, कर्नाटक एफ.सं.31-1(76)/2017-अनुदान	₹3,25,200/-	₹2,43,900/-	₹81,300/-	1. 400 ताड़ पांडुलिपियों के लिए लकड़ी (बेहतर) की पैटी 70/-रुपए की दर से मजदूरी सहित (सं. 800 पीस, 26 से.मी. x 4 से.मी.) =₹56,000/- 2. 400 ताड़ पत्र पांडुलिपियों के लिए	

क्र.सं.	संगठन/वैयक्तिक का नाम	अनुमोदित परियोजना लागत	केंद्र सरकार का संस्वीकृत अंशदान	अनुदान प्राप्तकर्ता का समतुल्य अंशदान	प्रयोजन	टिप्पणी
					लकड़ी (बेहतर) की पैटीं ₹90/-रुपए की दर से, मजदूरी सहित (सं. 800 पीएस, 26 सेमी x 4 सेमी) =₹72,000/- 3. 800 कागज की पांडुलिपियों के लिए सेनेका कवर 125/-रुपए की दर से, मजदूरी सहित (6 सेमी x 5 सेमी) =₹1,00,000/- 4. हैंडीलेमिनेशन (900 दुर्लभ दस्तावेज) =₹22,500/- 5. थाइमॉल 2 =₹6,000/- 6. सीका जेल 5 किलोग्राम =₹15,000/- 7. ऑसियम तेल 1 लीटर =₹10,500/- 8. सिट्राना ऑयल 10 लीटर =₹8,500/- 9. स्पिरिट 10 लीटर =₹2,700/- 10. बाइंडिंग्स (400 दुर्लभ पुस्तकें) =₹32,000/-	
8.	**तमिलनाडु** मद्रास क्रिश्चयन कॉलेज, चेन्नई, तमिलनाडु एफ.सं.31-1(66)/2017-अनुदान	₹2,49,880/-	₹1,87,410/-	₹62,470/-	1. स्टील बुक रैक सं. 20 =₹74,180/- 2. दुर्लभ पुस्तकों (30 पुस्तकें) की मरम्मत, परिरक्षण और संरक्षण =₹1,25,000/- 3. कैटलॉग और इंडेक्स	

क्र.सं.	संगठन/वैयक्तिक का नाम	अनुमोदित परियोजना लागत	केंद्र सरकार का संस्वीकृत अंशदान	अनुदान प्राप्तकर्ता का समतुल्य अंशदान	प्रयोजन	टिप्पणी
					तैयार करना =₹50,700/-	
9.	**तमिलनाडु** द सी. पी. रामास्वामी अय्यर फाउंडेशन, चेन्नई, तमिलनाडु एफ.सं.31-1(67)/2017-अनुदान	₹4,71,549/-	₹3,53,662/-	₹1,17,887/-	1. 10,000 की संख्या में सी.पी. रामास्वामी अय्यर के पुरालेखीय दस्तावेजों का पोलियस्टर फिल्म और एक्रिलिक बेस्ड डबल साइडेड टेप का उपयोग करके एनकैप्सुलेशन, 35/-रुपए की दर से =₹3,50,000/- 2. पुरानी पांडुलिपियों के 7 खंडों के 1050 पृष्ठों की टिश्यू लेमिनेशन, केमिकल ट्रीटमेंट और सेक्शन बाइंडिंग -1050 x पृष्ठ 25 =₹26,250/- केमिकल ट्रीटमेंट 1050 x 15 =₹15,750/- बाइंडिंग - 7 x 350 =₹2450/- 3. दुर्लभ और पुरानी पुस्तकों (सं. 122) के लिए सेक्शन बाइंडिंग की लागत 122x550/-रुपए =₹67,100/- 4. फ्यूमिगेशन चैम्बर में और पांडुलिपियों, पुस्तकों, अभिलेखागार सामग्री और पुराने फोटोग्राफों के लिए रसायन और परिरक्षण सामग्री =₹10,000/-	

क्र.सं.	संगठन/वैयक्तिक का नाम	अनुमोदित परियोजना लागत	केंद्र सरकार का संस्वीकृत अंशदान	अनुदान प्राप्तकर्ता का समतुल्य अंशदान	प्रयोजन	टिप्पणी
10.	**तमिलनाडु** निर्मला महिला कॉलेज, कोयम्बटूर, तमिलनाडु एफ.सं.31-1(68)/2017-अनुदान	₹1,24,900/-	₹93,675/-	₹31,225	1. बुक स्कैनर =₹64,900/- 2. एयर टाइट वुडन चैम्बर =₹50,000/- 3. रसायन (थाइमॉल) =₹5,000/- 4. रसायन (पैरा-डाइक्लोरो बेंजीन) =₹5,000/-	
11.	**तमिलनाडु** कुप्पुस्वामी शास्त्री अनुसंधान संस्थान, चेन्नई, तमिलनाडु एफ.सं.31-1(69)/2017-अनुदान	₹3,68,000/-	₹2,76,000/-	₹92,000/-	1. 80,000 पृष्ठों की दुर्लभ पुस्तकों का अंकीकरण, 2,50/-रुपए की दर से =₹2,00,000/- 2. बाइंडिंग 1400x120/-रुपए =₹1,68,000/-	अंकीकरण हेतु संस्वीकृत अनुदान के संदर्भ में एनएआई को उपपलबध कराए जाने वाले मेटाडाटा के साथ अंकीकृत सामग्री की प्रति।
12.	**उत्तर प्रदेश** चतुर्वेदी शोध मंदिर पुस्तकालय समिति, 53 खुर्शेदबाग, लखनऊ एफ.सं.31-1(72)/2017-अनुदान	₹90,000/-	₹67,500/-	₹22,500/-	क. 12 पांडुलिपियों के संरक्षण एवं डिजिटाइजेशन हेतु। =₹80,000/- ख. 24 हस्तलिखित डायरी के संरक्षण एवं डिजिटाइजेशन कार्य हेतु। =₹10,000/-	स्कैनिंग की दर राष्ट्रीय अभिलेखागार, 2016-17 के अंकीकरण नीति संबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार होगी, ए2-ए4 साइज़ के लिए 4 रुपए होगी। अंकीकरण हेतु संस्वीकृत अनुदान के संदर्भ में एनएआई को उपलब्ध कराए जाने वाले मेटाडाटा के साथ अंकीकृत सामग्री की प्रति।
13.	**उत्तर प्रदेश**	₹70,000/-	₹52,500/-	₹17,500/-	1. 200 पांडुलिपियों एवं	

क्र.सं.	संगठन/वैयक्तिक का नाम	अनुमोदित परियोजना लागत	केंद्र सरकार का संस्वीकृत अंशदान	अनुदान प्राप्तकर्ता का समतुल्य अंशदान	प्रयोजन	टिप्पणी
	श्री राम सिंह (वैयक्तिक), गजरौली, उत्तर प्रदेश एफ.सं.31-1(73)/2017-अनुदान				दुर्लभ पुस्तकों की बाइंडिंग एवं मरम्मत हेतु। =₹60,000/- 2. अभिलेखों के वैज्ञानिक संरक्षण के विभिन्न रसायन क्रय हेतु। =₹10,000/-	
14.	**उत्तर प्रदेश** नटरंग प्रतिष्ठान, ऑपरेटिंग ऑफिस, 706 सिमेरू अपार्टमेंट, कौशाम्बी गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश एफ.सं.31-1(71)/2017-अनुदान	₹2,00,000/-	₹1,50,000/-	₹50,000/-	1. दुर्लभ अभिलेखीय सामग्री के डिजिटाइजेशन हेतु, जिसके अंतर्गत स्कैनिंग एवं डाटाबेस तैयार करना है। =₹1,00,000/- 2. जीर्णशीर्ण अभिलेखीय सामग्री की मरम्मत हेतु जैसे लैमिनेशन एवं बाइंडिंग कराने के निमित सामग्री क्रय करने के लिए। =₹1,00,000/-	स्कैनिंग की दर राष्ट्रीय अभिलेखागार, 2016-17 के अंकीकरण नीति संबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार होगी, ए2-ए4 साइज़ के लिए 4 रुपए होगी। अंकीकरण हेतु संस्वीकृत अनुदान के संदर्भ में एनएआई को उपलब्ध कराए जाने वाले मेटाडाटा के साथ अंकीकृत सामग्री की प्रति।

अनुदान समिति ने **₹24,90,772/-** के केंद्र सरकार के 75 प्रतिशत अंशदान के साथ **₹33,21,029/-** के कुल अनुदान की सिफारिश की और इस प्रकार केंद्र सरकार के 50 प्रतिशत अंशदान की पहली किस्त अर्थात **₹12,45,386/-** अनुदानग्राही को बांड और अन्य अपेक्षित पूरे कागजातों को जमा करने पर जारी की जाएगी। दूसरी किस्त अनुदानग्राही द्वारा समग्र अनुदान के उपयोगिता प्रमाणपत्र जमा करने पर प्रतिपूर्ति के रूप में जारी की जाएगी।

16 जनवरी 2018 को हुई अनुदान समिति की दूसरी बैठक का कार्यवृत्त

अनुलग्नक III

(क) ऐसे संगठनों/व्यक्तियों के नाम जिनकेा 2017-2018 के दौरान अनुदाना समिति द्वारा वित्तीय सहायता हेतु अनुशंसा नहीं की गई है।

क्र.सं.	**संगठनों/संस्थाओं/व्यक्तियों के नाम**	**कारण**
1.	अभिलेखागार अनुभाग जेएसएस महाविद्यापीठ, मैसूर, कर्नाटक एफ.सं.31-1(74)/2017-अनुदान	अस्वीकृत। 2008-2009 में जारी अनुदान के निमित्त उपयोगिता प्रमाणपत्र लंबित है।
2.	बासव शरण कला संग्रहालय, कुडलासंगम, कर्नाटक एफ.सं.31-1(75)/2017-अनुदान	अनुमोदन नहीं प्रदान किया गया। संगठन को संशोधित प्रस्ताव भेजने की सलाह दी जा सकती है।
3.	श्री के. कृष्णा स्वामी मेमोरियल ट्रस्ट, हैदराबाद, तेलंगाना एफ.सं.31-1(70)/2017-अनुदान	अस्वीकृत। समिति इस प्रस्ताव से सहमत नहीं थी क्योंकि समिति ने उन प्रस्तावों को बढ़ावा दिया जो पांडुलिपियों और दुर्लभ पुस्तकों के परिरक्षण और जीर्णोद्धार के लिए है।